भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3006

13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य उत्पादों के लिए स्वास्थ्य रेटिंग

3006. श्री गुरमीत सिंह मीत:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए चीनी कर लगाने पर विचार कर रही है कि ब्रिटेन और मैक्सिको जैसे देशों ने चीनी की अधिक खपत से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए चीनी कर लागू किया है जिसके परिणामस्वरूप चीनी उत्पादों की खपत में कमी आई है और स्वास्थ्यवर्धक आहार कैलोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चीनी के अत्यधिक सेवन को रोकने और जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कर अथवा वैकल्पिक उपायों को लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसे उपायों को न अपनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अन्य देशों में की गई पहलों के समान रेडी-टू-ईट खाद्य उत्पादों के लिए स्वास्थ्य रेटिंग लेबल को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन लेबलों से उपभोक्ताओं को जानकारी युक्त आहार विकल्प चुनने और जन स्वास्थ्य उद्देश्यों के अनुरूप बनाने में मदद मिलने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राजस्व विभाग ने सूचित किया है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। जीएसटी परिषद के समक्ष चीनी कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया है, जिसमें पैक किए हुए खाद्य पदार्थों की लेबलिंग के लिए आवश्यकताएँ निर्धारित की गई हैं। विनियम के अनुसार प्रत्येक पैक के पीछे पोषक तत्वों और अनुशंसित दैनिक मात्रा (आरडीए) में उनकी अनिवार्य मात्रा को प्रतिशत में प्रदर्शित करना आवश्यक है, ताकि उपभोक्ता पोषक-तत्व संबंधी सूचना के आधार पर विकल्प के चयन में सक्षम हो सकें। खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के लिए इन विनियमों के अनुसार खाद्य पैकेज पर लेबल लगाना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, सितंबर, 2022 में एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) संशोधन विनियमों के मसौदे को अधिसूचित किया है, जो https://fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Draft_Notification_HFSS_20_09_2022.pdf पर उपलब्ध है। ये संशोधन विनियम वसा, चीनी और नमक (एचएफएसएस खाद्य) की उच्च सामग्री वाले खाद्य पदार्थों की परिभाषा का प्रस्ताव करते हैं और भारतीय पोषण रेटिंग (आईएनआर) के साथ पैक किए हुए खाद्य पदार्थों (कुछ खाद्य पदार्थों को छोड़कर जिनके लिए छूट प्रदान की गई है) के फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग को भी प्रस्तावित करते हैं।

****